

# भूमि सुधार उपसमाहर्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी0 ए0 मिस वाद संख्या 183B/2015-16

मिथलेश महतो बनाम 1. उत्तम कुमार महतो 2. देवेन्द्र महतो

:: आदेश ::

दिनांक

पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर


अभ्युक्ति

19.02.18  
अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, गम्हरिया के पत्रांक 184 दिनांक 01.02.2018 द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 183 B/2015-16 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता मिथलेश महतो पिता-स्व0 फनी भूषण महतो, ग्राम-आसंगी, थाना-आदित्यपुर, जिला-सरायकेला-खरसावों ने पारिवारिक खर्च एवं ऋण परिशोधन हेतु क्रेता 1. उत्तम कुमार महतो 2. देवेन्द्र महतो पिता- श्री खिरोद महतो, ग्राम- छोटा बड़ामारी, थाना-काण्डा, जिला- सरायकेला-खरसावों को भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समर्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:-

<u>मौजा</u>	<u>थाना न0</u>	<u>खाता न0</u>	<u>खेसरा न0</u>	<u>रकवा</u>
आसंगी	126	89	317	0.11 ए0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि के विक्रेता के पिता फनीभूषण महतो एवं अन्य अंशदार के नाम पर आर0एस0 खतियान में दर्ज है। आवेदक अपने हिस्से की आंशिक जमीन की बिक्री हेतु आवेदन किये हैं, जिसमें से 0.11 ए0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् उनके हिस्से में 2.72 ए0 एकड़ भूमि शेष बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही जिला एवं जाति 'कुर्मी' जो अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपयुक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.11 ए0 भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

  
19/02/18  
भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
सरायकेला।